प्र.सं. 73/2020 जीसीएमएस आईडी : 2020/00168
सुनील कुमार आदि बनाम रिछपाल आदि
अन्तर्गत धारा 88–92ए–53 आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
17.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड की प्रतियों का अवलोकन किया। पक्षकारान की ओर से न्यायालय में दिनांक 22.07.2021 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। जो कि बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया हैं। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 को उनके पिता की मृत्यु होने के पश्चात बतौर विरास्तन प्राप्त हुई है, जो हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति हैं, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीगण का पैदायशी हक होने के कारण बहिस्सा बराबर बराबर का हक हकूक निहित हैं। भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा बनता हैं। भूमि में तीनों की संयुक्त काश्त हैं। जिसमें वादीगण को 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने के राजीनामा मुताबिक वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया हैं। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान का आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हैं। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्ययोचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण बरूवे राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि – " विवादित भूमि चक 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं. 167 में दर्ज मु.नं. 64, 60, 78 की कुल 6.812है. बारानी भूमि एवं चक 1 एमकेबी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं. 75 में दर्ज मु.नं. 21, 41 की कुल 2.910है. नहरी मय खाला भूमि का वादीगण सं. 1. सुनील कुमार पुत्र रिछपाल, 2. अजय कुमार पुत्र रिछपाल एवं प्रतिवादी सं. 1 रिछपाल पुत्र भजनलाल प्रत्येक को बहिस्सा बराबर बराबर 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं।" इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। चूंकि भूमि बैंक के राहिन दर्ज हैं, अतः डिक्री की पालना भूमि में राहिन मुक्त दर्ज [illegible] की जावे। डिक्री में नोट अंकित किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Arpita Soni Date: 2021.10.08 17:32:57 IST Reason: SelfAttested (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned with CamScanner